अनुदान संख्या 5 – आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

GRANT No. 5 - MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2107,10,00	2190,55,00	2045,46,82	- 145,08,18
पूरक	Supplementary	83,45,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				74,78,95
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		23,70,00	3,97,64	-19,72,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				19,96,53

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹14508.18 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹8345.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई, और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹14508.18 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹8345.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"					
सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services					
मू.	O.	3800.00		2777.49	2689.39	-88.10
पु.	R.	-1022.51				
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"					
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health					
मू.	O.	105404.00				
पू.	S.	8341.00		114434.88	111444.25	-2990.63
पु.	R.	689.88				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	13400.00				
पू.	S.	2.00		5101.09	..	-5101.09
पु.	R.	-8300.91				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"					
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	86600.00				
पू.	S.	1.00		88063.07	89522.14	+1459.07
पु.	R.	1462.07				

(I) ₹13588.00 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹13001.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹13588.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilised under eight heads; of these ₹13001.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – अन्य पद्धतियां – राष्ट्रीय आयुष मिशन" – ₹5101.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य पद्धतियां" –

(i) "पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट" – ₹1000.00 लाख; और

(ii) "पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग" – ₹1800.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ग) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां (आयुष)" – ₹5100.00 लाख – प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(का) "आयुर्वेद – केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् को अनुदान" – ₹23791.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3036.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹26827.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹1223.59 लाख की सीमा तक निधियों को जारी करने के लिए स्वीकृति में विलंब होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) "सिद्ध – केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद्, चैन्नई को अनुदान" – ₹2850.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹654.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3504.00 लाख

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Other Systems - National AYUSH Mission (NAM)" - ₹5101.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(B) "Medical Education, Training and Research - Other Systems" -

(a) "North-Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat" - ₹1000.00 lakhs; and

(b) "North-Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong" - ₹1800.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to National Investment Fund (AYUSH)" - ₹5100.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Ayurveda - Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences" - the original provision of ₹23791.00 lakhs was augmented to ₹26827.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3036.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1223.59 lakhs - due to delay in issue of sanction for release of funds and economy measures.

(B) "Siddha - Grants to Central Council for Research in Siddha, Chennai" - the original provision of ₹2850.00 lakhs was augmented to ₹3504.00 lakhs

कर दिया गया जो, तथापि, ₹500.00 लाख की सीमा तक अनुसंधान गतिविधियों की कम संख्या होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

by obtaining supplementary grant of ₹654.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹500.00 lakhs - due to less number of research activities.

(III) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय" के अंतर्गत ₹1110.61 लाख की बचत (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, कम संविदात्मक कर्मचारी रखे जाने, नवीकरण प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने, ई – ऑफिस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी गति होने और किफायत उपाय के किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy" - saving of ₹1110.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement proposals, hiring of less contractuals, non-materialisation of renovation proposals, slow pace of implementation of e-office projects and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य पद्धतियां" –

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicine"-

(क) "अन्य पद्धतियां – राष्ट्रीय आयुष मिशन" – ₹770.10 लाख की बचत (₹1290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से पर्याप्त राज्य वार्षिक कार्य योजना की प्राप्ति न होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Other Systems - National AYUSH Mission (NAM)" - saving of ₹770.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1290.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient State Annual Action Plan from UTs and economy measures.

(ख) "आरक्षित निधि / जमा लेखा को अतंरण – राष्ट्रीय निवेश निधि (आयुष) को अंतरण के लिए निधि" – ₹1160.00 लाख की बचत (₹1290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय निवेश निधि से संबंधित कम निधियों का अंतरण होने के कारण हुई।

(b) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for transfer to National Investment Fund (AYUSH)" - saving of ₹1160.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1290.00 lakhs) was due to transfer of less funds towards National Investment Fund.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य पद्धतियां – राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान" – ₹1390.00 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यकलापों में विलंब होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) "Medical Education, Training and Research - Other Systems - Grants to National Institute of Naturopathy, Pune" - saving of ₹1390.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to delay in construction activities and economy measures.

(V) उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹889.96 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और कुल स्वीकृत प्रावधान का 41 प्रतिशत से 52 प्रतिशत थीं।

(V) Under three heads savings of ₹889.96 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 41 percent to 52 percent of the total sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5022.07 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य चिकित्सा पद्धतियां – आयुर्वेद – अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली" – ₹1528.00 लाख।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य पद्धतियां – पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग" – ₹2032.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमे – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन" – ₹1462.07 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1460.07 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – आरक्षित निधि/जमा लेखा को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि (आयुष) को अंतरण के लिए निधियां" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹1461.07 लाख का अधिक व्यय (₹43300.00 लाख का स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय निवेश निधि के लिए अधिक निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹318.00 लाख का अधिक व्यय हुआ, जबकि संपूर्ण व्यय को निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया।

2.(I) The above savings were partly (₹5022.07 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹3.00 lakhs - under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Ayurveda - All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi" - ₹1528.00 lakhs.

(b) "Medical Education, Training and Research - Other Systems - North-Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong" - ₹2032.00 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - National AYUSH Mission (NAM)" - ₹1462.07 lakhs. Actual excess, however, was ₹1460.07 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to National Investment Fund (AYUSH)" - excess of ₹1461.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43300.00 lakhs) was due to more transfer of funds towards National Investment Fund.

(III) Under one head excess of ₹318.00 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹1996.53 लाख) की कुल बचतों ₹1972.36 लाख से अधिक हो गई।

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹1996.53 lakhs) exceeded the overall savings of ₹1972.36 lakhs.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :–

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	2370.00	373.47	397.64	+24.17
पु.	R.	-1996.53			

(I) ₹50.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹50.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) "सामान्य – अन्य व्यय कार्यालय भवन का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹1908.90 लाख की बचत (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य के निष्पादन में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under "General - Other Expenditure - Acquisition of Office Building" - saving of ₹1908.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs) was due to delay in execution of work by Central Public Works Department.